

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।  
अपील संख्या:—जीसीएमएस नं. 2022/194

1. रामकरण पुत्र स्व. श्री देवाराम, जाति जाट निवासी ग्राम श्रीकिशनपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर

—अपीलान्त

**बनाम**

1. जगदीश पुत्र स्व. श्री छीतर,
2. कृष्ण कुमार पुत्र स्व. श्री छीतर,
3. मोहनलाल पुत्र स्व. श्री छीतर,
4. राजेन्द्र पुत्र स्व. श्री छीतर समस्त जाति जाट निवासी ग्राम श्रीकिशनपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट्स

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर।

—प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट

**उपस्थिति:—**

1. श्री राजाराम चौधरी, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री कालूराम मीना एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की ओर से

**निर्णय**

दिनांक: 21.11.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम श्रीकिशनपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 27, 28, 63, 69, 70, 87, 90, 91, 135, 136, 138, 139, 140, 142, 176, 184, 189, 192, 200, 219, 270, 271, 278, 279, 321, 325, 370, 392 कुल किता 28 कुल रकबा 8.13 हैक्टर की खातेदारी अपीलार्थी रामकरण पुत्र देवाराम हिस्सा 1/2 एवं जगदीश पुत्र छीतर हिस्सा 1/2 खातेदारी में और राजस्व भू अभिलेखों में इसी प्रकार इन्द्राज थे। उपरोक्त भूमि के सहकृषक रामकरण पुत्र देवा एवं जगदीश पुत्र छीतर ने आपसी सहमति से बाहमी बंटवारा कर रखा था जिसके अनुसार अपीलार्थी के हिस्से में खसरा नम्बर 27, 28, 63, 140, 139, 142, 200, 271, 321, 370, 392 जिसमें से खसरा नम्बर 139, 140, 142 में जाने के लिये रास्ता खसरा नम्बर 135 में दे रखा था शेष खसरा नम्बर रेस्पोडेन्ट जगदीश पुत्र छीतर ने ले रखा था दोनों सहकृषक बाहमी बंटवारे के अनुसार काश्त कर अपने हिस्से में आई भूमि का उपयोग—उपभोग करते चले आ रहे थे।

*(Handwritten signature)*  
न्यायालय संभागीय आयुक्त  
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उपरोक्त संयुक्त कृषि जोत को दोनों सहकृषकों ने राजस्व भू अभिलेखों में आपसी सहमति से हो रहे बाहमी बंटवारे के अनुसार अपने-अपने कब्जे काशत के अनुसार विभाजन कर लेना तय किया और रेस्पोडेन्ट जगदीश जो कि पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति था ने अपीलार्थी को आश्वासन दिया था कि वह सहकृषकों के बाहमी बंटवारे व कब्जे के अनुसार उक्त संयुक्त कृषि जोत का आपसी सहमति के अनुसार अन्तिम विभाजन करवा कर राजस्थ भू अभिलेखों में अंकन करवा देगा किन्तु उसने अपीलार्थी के अनपढ़ होने का अनुचित लाभ उठाते हुये बंटवारे के कागजात में हैरा-फेरी करते हुये रेस्पोडेन्ट जगदीश ने उक्त संयुक्त कृषि का आपसी सहमति से अन्तिम विभाजन करवाये जाने का जो कागजात पूर्व में तैयार करवाये उन कागजातों को प्रस्तुत नहीं कर अपीलार्थी की फर्जी अंगूठा निशानी लगाकर कुछ खसरा नम्बरान को छोड़कर बाहमी बंटवारे के विपरित डामर रोड़ से लगती हुई भूमि को अपने हिस्से में रखते हुये अपीलार्थी के मकान व भूमि में जाने हेतु रास्ता दिये बगैर ही कम कीमती की भूमि अपीलार्थी के हिस्से में रखते हुये अपीलार्थी की अनुपस्थिति में ही तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर दिनांक 28.02.2004 को बंटवारे का आदेश पारित करवा लिया जिसकी जानकारी होने पर जानकारी के दिन से अन्दर मियाद अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विधि की यह सुस्थापित व्यवस्था है कि प्रभावित पक्षकारों को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने पश्चात् ही निर्णय या आदेश पारित किया जाना आवश्यक है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही केवल मात्र रेस्पोडेन्ट को सुना जाकर अपीलार्थी निर्णय पारित किया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी की भूमि संयुक्त कृषि जोत की भूमि होने एवं बंटवारे का प्रकरण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन रहते जब तक सक्षम न्यायालय से विधि अनुसार बंटवारे का निर्णय पारित नहीं हो जाता उससे पूर्व किसी भी सहकृषक को संयुक्त कृषि जोत में अपनी खातेदारी की भूमि होना अंकन करते हुये कोई सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी की कार्यवाही नहीं करवा सकता परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी निर्णय पारित किया जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 20.04.2020 के अनुसार प्रार्थी पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है उस सीमाज्ञान रिपोर्ट के सम्बन्ध में प्रार्थी स्वयं द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अप्रार्थी उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुआ ऐसी अवस्था में पुनः सीमाज्ञान रिपोर्ट पक्षकारों की उपस्थिति में किया जाना आवश्यक होने के पश्चात् भी त्रुटिपूर्ण एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा जिन खसरा नम्बर हेतु प्रार्थना

पत्र प्रस्तुत किया उसके विपरित जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य ग्राम के खसरा नम्बर के सम्बन्ध में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2022 निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2022 को निरस्त किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित खाता संख्या 13 के खसरा नम्बरान का उल्लेख किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2022 में खाता संख्या 24 के खसरा नम्बरान का हवाला देकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावें।

हमने पत्रावली का अलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा खाता संख्या 13 के खसरा नम्बरान की पत्थरगद्दी करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण संख्या 81/2020 दर्ज हुआ किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में खाता संख्या 24 के खसरा नम्बरान का हवाला देकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता ने भी दौराने बहस प्रकरण को रिमाण्ड किये जाने हेतु अपनी सहमति दी। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।


अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

  
(अन्तरसिंह नेहरा)

संभागीय आयुक्त

जयपुर

निर्णय आज दिनांक 21.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
संभागीय आयुक्त, 21/11/22

जयपुर